

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

लामाक : एफ 4 (13) आकाशी/निःस./2010/646
आदेश

दिनांक-०७/०४/२०१७

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी लेव 2016-17 से निम्नलिखित महाविद्यालय को पूरी संचालित कला संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-एव निम्नलिखित शर्तों के राध प्रदान की जाती है—

क्र. सं.	पंजाब विद्यालय का नाम तथा परिवर्तन	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय / संलग्न
1 13	लर्डोइम विद्यालय नया पंजाबिया, तहां आगौटीरा, चारसाहा।	गोहनसाल मुख्यालय विश्वविद्यालय उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित— कला सांस्कृतिक स्तर पर — हिन्दी साह आधेजी चाठ, संस्कृत चाठ इतिहास चाणक्याले विज्ञान, मूर्खाल।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी.सी.आई.०७ से संबद्धता प्राप्त करने का आविष्य संख्या संख्या का होगा।
 2. संस्था महाविद्यालय में अवधारण कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंताकारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं राधा निधारित मानवशक्तिमुद्रार अर्हातिक रटाम की नियुक्ति के साथ-२ अन्य निधारित शर्तों की पालना करेगी।
 3. राज्य सरकार संख्या को यर्तनान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय तहायता नहीं देगी।
 4. संख्या को समय-२ पर यू.जी.सी./राज्य उच्चकार/आयुक्तालय पॉलेज विकास द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
 5. संख्या द्वारा राजस्थान गैर सरकारी वैदिक संख्या अधिनियम १९८९ तथा सल्लान्धनी नियम १९९३ के सभी उपलब्धों की निरंतर अनुपालन सुनिश्चित की जावेगी।
 6. संख्या को स्थाई मान्यता इस तार्ते पर जारी की जाती है कि संख्या द्वारा उपरोक्त शर्तों का कार्य भी उल्लंघन करने पर उनके विलक्षण कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
 7. संख्या को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरेक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
 8. संख्या को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
 9. विषि महाविद्यालयों गो.बी.सी.आई. की नियमों की निरन्तर अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।
 10. संख्या प्रति वर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित जरूरि में यूपी सूचनाये गरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 11. संख्या महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस में website address की शुरूआत की जाएगी।
 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वैश्वीटल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर परिवर्त अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी १५ दिवस में आयुक्तालय में पृष्ठात् करें। इस दाटा के अध्यात् पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्ट 'Know Your College' पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जैसे एवं ऊपरी यो सम्बन्ध हो सकेगी।
 13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੱਧਰੀਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀਆਂ

- पिशिट सहायक, नाठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - मिणी सचिव, अटिठ मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - पिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
 - गुरु सौथेद, भीड़नगर सुखाधिपा पिशविदालय पदशपुर।
 - सचिव, सम्बन्धित महापिधालग।
 - साहित्यिक शास्त्रा, आयुक्तालय, कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - रेकिंग प्रायपली।

संयुक्त-निदेशक (निजी सभ्या)
कालेज ग्रिडा, शास्त्रान् इवर